

राजस्थान सरकार  
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष / IFMS/पे-मैनेजर / 13587-13752 दिनांक 19/3/2019

विभागाध्यक्ष

समस्त।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 29.03.2019/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम कार्य दिवस को कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा पारित किए जाने वाले ऑनलाइन भुगतान के संबंध में।

महोदय,


प्रायः यह देखा जाता है कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस के अंतिम समय में कोषालयों/उपकोषालयों में बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके कारण ऑनलाइन भुगतानों में समस्या होती है एवं तकनीकी समस्या या लाभार्थी के खाता संख्या का विवरण सही नहीं होने पर बैंकों द्वारा रिजेक्टेड संव्यवहारों का समय पर भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

अतः वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को राजकीय दावों के कोषालयों के माध्यम से सुचारू रूप से ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को निर्देशित करावें :—

1. चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्धारित अंतिम कार्य दिवस को बनाये गये समस्त ऑनलाइन बिल सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन फॉरवर्ड किए जाकर उसकी हॉर्डप्रति अपरान्ह 3.00 बजे तक संबंधित कोषालय/उपकोषालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अपरान्ह पश्चात 3.00 बजे तक प्राप्त बिलों को कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा सामान्य कार्य दिवस (सांय 6.00 बजे) तक बिल पारित कर सॉफ्टकॉपी बैंक को ऑनलाइन भुगतान हेतु अग्रेषित की जावेगी।
3. ऑनलाइन बिल बनाये जाते समय सिस्टम पर सही बजट मद/बिल से की जाने वाली कटौतियों के मद का सही चयन किया जाये एवं राशि लाभार्थियों के खातें का विवरण यथा बैंक खाता संख्या, बैंक ब्रांच तथा देय राशि का इन्द्राज पूर्ण जाँच के उपरान्त किये जाने का दायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा।
4. तकनीकी समस्या या लाभार्थी के खाता संख्या का विवरण सही नहीं होने पर बैंकों द्वारा रिजेक्टेड संव्यवहारों का बैंकर्स चैक संबंधित एजेन्सी बैंक से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतिम कार्य दिवस को भुगतान स्क्रॉल के साथ कोष/उपकोष को सुपुर्द किए जायें। अतः सभी आहरण वितरण अधिकारी उक्त बैंकर्स चैक समय पर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर भुगतान संबंधित लाभार्थियों को किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा लंबित भुगतानों का दायित्व पूर्णतया आहरण वितरण अधिकारियों का होगा।

5. समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय/उपकोषालय को भिजवाये गये बिलों का पारित/आक्षेपित बिलों से मिलान कर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी बिल का भुगतान होना शेष तो नहीं है। यदि किसी बिल का भुगतान नहीं हुआ है तो अविलम्ब संबंधित कोषालय/उपकोषालय से वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतिम कार्य दिवस को कार्यालय समय में ही सम्पर्क कर बिल की स्थिति ज्ञात कर उसका निस्तारण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
6. पी.डी. खातों से संबंधित समस्त संव्यवहारों के ई-भुगतान परिपत्र दिनांक 11.10.2017 में विहित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतिम कार्य दिवस तक निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत ही किए जाने सुनिश्चित किए जाये। इस हेतु पी.डी. खाताधारकों को समय पर पेमेन्ट एडवाइस प्रेषित करने हेतु सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाये।
7. निर्धारित अवधि में बिल कोषालय में प्रेषित न करने अथवा आक्षेपित बिलों का समय पर निस्तारण न किए जाने एवं उपलब्ध बजट का समय पर निर्धारित नियमों व निर्देशों के अन्तर्गत उपयोग न किए जाने हेतु आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।
8. समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को उनसे संबंधित राजस्व प्राप्तियों (मैन्युअल व ई-भुगतान) के इस वित्तीय वर्ष के सम्पूर्ण मिलान ई-कोष की ई-ग्रास पर उपलब्ध रिपोर्ट्स से किए जाने हेतु निर्देशित करें। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा माइनस व्यय के चालानों तथा पी.डी. खातों के चालानों की जमाओं का राजकोष पोर्टल से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

  
 (संजू राजपाल)  
 शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष / IFMS/पे-मैनेजर / 13753 - 803

दिनांक 19/3/2019

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. उपशासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. को दिनांक 29.03.2019 / राजकीय सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम कार्य दिवस तक आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत सभी एस्लीकेशन के सुचारू संचालन एवं स्पीड सुनिश्चित किए जाने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करने हेतु प्रेषित है। कोषालय एवं उपकोषालयों को बैंक के स्तर पर ई-भुगतान फाइलों को अपलोड करने, प्रोसेस करने, भुगतान करने, लंबित रखने, रिजेक्ट करने इत्यादि की एम.आई.एस. रिपोर्ट भी रियल टाईम बेसिस पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतिम कार्य दिवस तक सभी प्रकार के बिलों का ऑनलाइन भुगतान कोषालय के सामान्य कार्य दिवस तक किया जाना सुनिश्चित करावे।
5. समस्त, आहरण वितरण अधिकारी
6. सहायक महाप्रबन्धक (बैंकिंग), भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर
7. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर।
8. सहायक उपमहाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
9. फील्ड महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर।
10. उपमहाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर
11. मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, यू.पी.एस.सी. बिल्डिंग, नई दिल्ली।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग सचिवालय जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव